सत्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारीः– श्वेता चौहान (आई0ए0एस0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020 (2020/00079)

1. श्री सुरेन्द्रसिंह सुपुत्र रणजीतसिंह
2. श्री प्रेमसिंह सुपुत्र रणजीतसिंह
3. श्री गोविन्दसिंह सुपुत्र रणजीतसिंह

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

-----प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर

2– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर

3– श्री नारायणसिंह सुपुत्र प्रेमसिंह जाति रावत निवासी गांव नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 02–09–2020

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सांराशतः कथन किये है कि वाकै गांव नरबदखेड़ा स्थित खसरा संख्या 881/1 रकबा 02–03–10 व 881/2 रकबा 00–16–10 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। भूमि खसरा संख्या 881 के दक्षिण की तरफ खसरा संख्या 890 पुरानी पड़त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की चली आ रही है व इसके आगे डामर रोड़ चली आ रही है व प्रार्थीगण अरसे दराज से इसी भूमि से होकर अपनी खातेदारी की भूमि में आ जा रहे हैं व कृषि वाहन इत्यादि लेकर आते जाते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 की नियत खराब है व उक्त सरकारी भूमि को देखकर गलत व गैरकानूनी रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करते हुए कुछ समय पूर्व प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को सदा सर्वदा के लिये बन्द करते हुए निर्माणात करने पर आमादा हो गया जिसे वादीगण व गांव के मौजिज लोगों ने उसे ऐसा गलत कृत्य करने से रोका किन्तु उक्त रास्ता तरमीमशुदा न होने के कारण व वादीगण के विरोध किये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 3 ने गलत व गैरकानूनी रूप से व बिना अधिकार के कुछ समय पूर्व सरकार भूमि पर अवैध निर्माणात जबरन करना शुरू कर प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को धीरे धीरे सदा सर्वदा क लिये बन्द कर दिया। इस पर पक्का निर्माणात पर आमादा है जिस हेतु दिनांक 10.06.2019 को मिस्री मजदूर को लाकर प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते पर लोके की केबिन रखकर पक्का निर्माणात करने के लिये पत्थर व बजरी डाल दिये व निर्माण करना चालू किया तो प्रार्थीगण ने उन्हें रोकना चाहा तो अप्रार्थी संख्या 3 व उसके परिवारजन मरने मारने पर आमादा हो गये तब प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को लिखित में शिकायत करने पर हल्का पटवारी ने आकर प्रतिवादी संख्या 3 को गलत कार्य करने से मना किया व मौके पर दिनांक 29.07.2019 को रिपोर्ट बनाई गई, किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 नहीं माना व प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को बन्द कर अवैध निर्माणात कर लिये हैं। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी जिसका वर्णन पद नम्बर 1 में किया गया है, में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा संख्या 890

.......................लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

स्थित है, में से आने जाने के लिये 30 फीट चौड़ा रास्ता जिसे संलग्न परिशिष्ट "क" में ए बी सी डी से दर्शाया गया है, रास्ता दिलाया जावे व/या इस भूमि में से कहीं से भी 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रतिवादी संख्या 3 से अतिक्रमण मुक्त करा आवागमन हेतु दिलाया जाय व जितनी भूमि रास्ते की ऐवज में आये उनकी न्यायोचित कीमत निर्धारित की जाकर प्रार्थीगण सं, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिलाई जाये तथा जो रास्ता न्यायालय दिलाया जाना तय करे उस रास्ते को रेवेन्यू रेकार्ड में पृथक नम्बर डाला जाकर रास्ता दर्ज किया जाय एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जाये। अप्रार्थी संख्या 3 पड़त भूमि खसरा संख्या 890 में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माणात न करे व न ही प्रार्थीगण में बाधा उत्पन्न करें तथा जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 3 को अवैध अतिक्रमण अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जरिये पुलिस इमदाद हटवाया जाकर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थन काश्तकारी अधिनियम में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर केवल मौखिक विरोध किया गया, अतः इनके जवाब प्रार्थना पत्र हक बन्द किये गये। इसी प्रार्थना पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली संख्या 29/2020 में प्रारंभिक आपत्तिया मय दस्तावेजात छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक राजस्व /1211 दिनांक 18.08.2020 में सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम नरबदखेड़ा के ख.नं. 881/1 व 881/2 में आने–जाने के लिए रास्ता चाहा गया है जिसमें हाल खसरा नम्बर 881 है जिसमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा संख्या 881 में आने–जाने हेतु वर्तमान में खसरा संख्या 890 की भूमि का ही मौके पर उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा वांछित खसरा संख्या 890 के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग जो सड़क मुख्यमार्ग तक पहुंचने में आसान, नजदीक व सुविधाजनक नहीं है। खातेदार की भूमि खसरा संख्या 881/1 व 881/2 के हाल खसरा संख्या 881 में मुख्य सड़क/मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु बीच में खसरा संख्या 890 रकबा 02–15–10 किस्म बा. 2 सिवायचक भूमि आती है तथा रास्ते में 00–07–10 रकबा प्रभावित होगा जो कि असिंचित है। रास्ते हेतु प्रभावित खसरा नम्बर 890 को नक्शा ट्रेस में लम्बाई–चौड़ाई दर्शाते हुए संलग्न किया गया है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया तथा इस हेतु निर्धारित दर अदा करने को तैयार होने के कथन बहस में किए। वितर्क में अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने कथन किए कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा किसी प्रकार कोई रास्ता नहीं रोका गया है एवं अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं की पुश्तैनी भूमि में काबिज काश्त है तथा बिना किसी रूकवाट के निवास व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण स्वयं द्वारा 15 फीट चौड़ा गेट लगाया हुआ है। प्रकरण द्वेष भावना से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किया जावें।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् परिशिष्ट "क" नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। ग्राम नरबदखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 248 में अंकित खसरा संख्या 881/1 रकबा 02–03–10 व 881/2 रकबा 00–16–10 प्रार्थीगण सुरेन्द्रसिंह प्रभुसिंह गोविन्दसिंह पि. रणजीत सिंह कौम रावत साकिन

..................लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

गोहाना खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया जिसके वर्तमान खाता संख्या 881 रकबा 03–00–00 बीघा है। प्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2073–76 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या 890 रकबा 02–15–10 पुरानी/पुरातन पड़त अंकित है। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2019 रास्ते से अतिक्रमण हटाने बाबत् की छाया प्रति प्रस्तुत की है। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2019 जो तहसीलदार ब्यावर को संबोधित की गई है, की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सिवायचक खसरा नम्बर 890 में रास्ता बना हुआ है जो जारी है तथा विक्रम सिंह पुत्र नारायण सिंह के द्वारा केबिन रखकर पक्का निर्माण किया जाने के कथन किए हैं। उक्त विक्रम सिंह अप्रार्थी संख्या 3 का पुत्र है। जिला कलक्टर महोदय अजमेर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति है जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 नारायणसिंह सुपुत्र श्री प्रेमसिंह द्वारा केबिन रखकर अतिक्रमण किये जाने व कच्चा मकान बना लिया जाने व रास्ता अवरूद्ध किये जाने के कथन किए हैं।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया है कि प्रार्थीगण की ग्राम नरबदखेड़ा स्थित आराजी खसरा संख्या 881 में आने जाने के लिए केवल मात्र खसरा नम्बर 890 सिवायचक भूमि है जिसका उपयोग प्रार्थीगण आने जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कथन तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किए हैं। उक्त सिवायचक खसरा संख्या 890 में अप्रार्थी संख्या 3 का कोई मालिकाना हक अधिकार अथवा खातेदारी होना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नरबदखेड़ा पटवार हल्का नरबखेड़ा तहसील ब्यावर स्थित प्रार्थीगण के खसरा संख्या 881 रकबा 03–00–00 किस्म बा.1 व बा.3 में आने जाने हेतु मुख्य सड़क से खसरा संख्या नंबर 890 रकबा 02–15–10 किस्म बा.2 में से 10 फीट चौड़ाई तक का रास्ता, प्रार्थीगण के खसरा संख्या 881 तक पहुंचने की लम्बाई का रास्ता रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त लम्बाई व चौड़ाई अनुसार प्रभावित रकबे का वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार ब्यावर द्वारा गणना की जावे तथा प्रार्थी उक्तानुसार राजकोष में नियमानुसार राशि का भुगतान करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि में से रास्ते की भूमि का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रभावित भूमि में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। **यह आदेश प्रार्थी द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान राजकोष में जमा करवाये जाने के पश्चात् लागू होंगे।** प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में राशि अदा करने की रसीद/चालान पेश करने के पश्चात् उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 02–09–2020 को कैम्प कोर्ट पंचायत समिति जवाजा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर